# औद्योगिक प्राधिकरणों में भूखंडों पर निर्माण के लिए मिलेगा और अधिक समय

लखनऊ। प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखंडों के निर्माण के लिए और अधिक समय मिलेगा। तमाम प्राधिकरणों के अंतर्गत क्षेत्रों में पहले दी गई अवधि 28 जुलाई को समाप्त हो गई। कोरोना संकट को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाने के बाबत शासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नियमित अवधि के भीतर निर्धारित निर्माण कार्य की शर्त के साथ इन क्षेत्रों में उद्यमियों को भूखंड आवंटित किए गए। औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय श्रेणी के इन भूखंडों पर निर्माण के लिए 3 से 5 साल का समय दिया गया था।

## पहले दी गई गई अवधि 28 जुलाई को हुई समाप्त, जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, कोरोना संकट के कारण तमाम उद्यमी अभी तक निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सके हैं। पिछले साल यह अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई थी, जो 28 जुलाई को खत्म हो गई। नियम है कि तय अवधि में निर्माण पूरा न करने पर पहले आर्थिक दंड लगाया जाता है। उसके बाद आवंटन रद्द करने का प्रावधान भी है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उद्यमियों की समस्याओं को देखते हुए इस समयावधि को बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर राहत की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ब्यूरो